

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 121]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 4 मार्च 2014—फाल्गुन 13, शक 1935

ऊर्जा विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 4 मार्च 2014

क्र. एफ-3-23-2013-तेरह.—यतः, राज्य सरकार की यह राय है कि नये उच्च दाब उपभोक्ताओं को विद्युत् वितरण कंपनियों के ग्रिड से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करने तथा प्रदेश में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए, लोक हित में ऐसा करना आवश्यक तथा समीचीन है;

अतएव, मध्यप्रदेश विद्युत् शुल्क अधिनियम, 2012 (क्रमांक 17 सन् 2012) की धारा 5 के खण्ड (एक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट उच्च दाब उपभोक्ताओं को, उक्त अनुसूची के कालम (3) में यथाविनिर्दिष्ट कालावधि के लिए, ग्रिड से प्रदाय की गई विद्युत् के लिए विद्युत् शुल्क के संदाय से निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए छूट प्रदान करती है, अर्थात्:—

- (1) यह छूट केवल उन नए उच्च दाब उपभोक्ताओं को उपलब्ध होगी, जो इस अधिसूचना के जारी की जाने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि में राज्य की विद्युत् वितरण कंपनियों से नवीन संयोजन प्राप्त करेंगे.
- (2) यह छूट राज्य की विद्युत् वितरण कंपनियों से वर्तमान में संयोजित इकाइयों/उपभोक्ताओं को उपलब्ध नहीं होगी.

## अनुसूची

अनुक्रमांक (1)	उच्च दाब उपभोक्ता (2)	विद्युत् शुल्क से छूट की अवधि (3)
1	33 के. व्ही. वोल्टेज	5 वर्ष
2	132 के. व्ही. वोल्टेज	7 वर्ष
3	220 के. व्ही. वोल्टेज	10 वर्ष

2. यह अधिसूचना मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी.

No. F-3-23-2013-XIII.—WHEREAS, the State Government is of the opinion that in order to encourage new high-tension consumers to connect with the grid of Electricity Distribution Companies and to promote industrialisation in the State, it is necessary and expedient to do so in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (i) of section 5 of the Madhya Pradesh Vidyut Shulk Adhinyam, 2012 (No. 17 of 2012), the State Government, hereby, exempts new high-tension consumers, as specified in column (2) of the Schedule below, from the payment of electricity duty on consumption of electricity supplied from the grid for a period as specified in column (3) of the said Schedule, subject to the following conditions, namely:—

- (1) This exemption shall be available only to the new high-tension consumers who take new connection from Electricity Distribution Companies of the State within 5 years from the date of issue of this notification,
- (2) The exemption shall not be available for units/consumers presently connected with the Electricity Distribution Companies of the State.

#### SCHEDULE

Sr. No.	High-tension Consumer	Period of exemption from electricity duty
(1)	(2)	(3)
1	33 KV Voltage	5 Years
2	132 KV Voltage	7 Years
3	220 KV Voltage	10 Years

2. The notification shall come in to force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
नीरज अग्रवाल, उपसचिव.